

SHRI S.R. BOMMAI: Mr. Chairman, Sir, so far as the Shastri Bhavan and other buildings are concerned, the hon. Minister has already assured the House that some steps are being taken for fire safety, but complete protection is not there. So far as the Central Government buildings are concerned, I would like to know from the hon. Minister by which time the safety measures would be completed.

Secondly, some State Governments are constructing new buildings in New Delhi. Is there any coordination between the Central Government and State Governments to see that this Act is made applicable and fire safety equipment is provided in those buildings?

SHRI L.K. ADVANI: So far as new buildings are concerned, without a 'no objection certificate' they will not be able to get a completion certificate at all. Unless adequate measures are taken in respect of fire-fighting protection, they will not be able to get a certificate.

So far as the Central Government buildings including the Shastri Bhavan are concerned, I have already stated that I will be coming forth to inform the House as to what shortcomings are there in these buildings. I consider several of them, may be, some of them are having inherent problems in the structures of these buildings. When these buildings were constructed, necessary precautions were not taken. However, a decision will be taken in that regard.

श्री जनार्दन यादव: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकारी भवनों में जो कमियाँ हैं उनको दूर करने के लिए प्रयास हो रहा है लेकिन दिल्ली में लाखों मकान हैं जिनमें लोग रह रहे हैं। 1983 के बाद जो 12 आवश्यकताएँ लगाई गई हैं भवन निर्माण के लिए, क्या निजी कांटेक्टर्स जो मकान बना रहे हैं, उनमें ये 12 आवश्यकताएँ लागू की जा रही हैं या नहीं?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, पहली बात तो यह है कि जो 12 आवश्यकताएँ मैंने कहीं, इनका

संबंध सब मकानों से नहीं है। ये हाई-राईज बिल्डिंग्स से संबंधित है। आप छोटा मकान बनाएं, एक मंजिल का मकान बनाएं, उसके लिए इनकी आवश्यकता नहीं है। हाई-राईज बिल्डिंग, जो एक सीमा के ऊपर की ऊँची बिल्डिंग्स है, उनके लिए यह आवश्यक है और मैंने कहा कि कांटेक्टर बना ही नहीं सकता जब तक उसको नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट न मिले और यह कानूनी आवश्यकता है, स्टैण्डर्टी आवश्यकता है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान किया जाना

304. श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:

श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विद्युत की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 30 अप्रैल, 1998 तक निजी और सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी तथा कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है;

(ख) क्या इसके लिए आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं तथा इस संबंध में विद्युत क्रय अनुबंध पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं;

(ग) क्या इन परियोजनाओं में विदेशी पूंजी का निवेश और इसकी हिस्सेदारी भी शामिल है; और

(घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास कितनी परियोजनाएँ स्वीकृति हेतु विचारार्थ हैं और उन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम):

(क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1 अप्रैल, 1997 से 30 अप्रैल, 1998 के दौरान केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) 1991 में भारत सरकार को निजी विद्युत नीति के आरंभ से निजी परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकारों के साथ आशय-पत्र/समझौता ज्ञापन के आधार पर विकसित की गई है। तथापि, फरवरी, 1995 से

† सभा में यह प्रश्न श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी द्वारा पूछा गया।

के०वि०प्रा० की स्वीकृति की आवश्यकता वाली परियोजनाओं को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली माध्यम पर स्थापित किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य बिजली बोर्डों और निजी परियोजना विकासकर्ताओं के मध्य विद्युत क्रय संविदाएं की जाती हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार विवरण-2 में सूचीबद्ध अधिकतर परियोजनाओं ने संविदा पर आद्यक्षण/हस्ताक्षर कर दिए हैं। (नीचे देखिए)

प्रारंभ में, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य बिजली बोर्डों के साथ वृहत् विद्युत आपूर्ति करार (बीपीएसए) पर हस्ताक्षर करते रहे हैं ताकि क्षेत्र में विभिन्न विद्युत केन्द्रों को विद्युत की बिक्री की जा सके। बीपीएसए में सभी विद्यमान और भारी विद्युत केन्द्रों से विद्युत की बिक्री करना शामिल है। 1994 के बाद से एनटीपीसी पृथक पीपीए पर हस्ताक्षर कर रहा है।

(ग) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की वास्तविक राशि तथा

निजी विद्युत परियोजनाओं में इसका हिस्सा इन परियोजनाओं का वित्तीय समापन होने के तथा निर्माण पूरा होने के बाद ही पता चल सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं में कोई विदेशी प्रत्यक्ष नहीं है।

(घ) 30 अप्रैल, 1998 की स्थिति के अनुसार 9822.5 मे० वा० की कुल क्षमता वाली 22 राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं तथा 4864 मे० वा० की कुल क्षमता वाली 10 निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) के०वि०प्रा० के तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्राप्त हो गई हैं। संबंधित राज्य सरकारों और परियोजना प्रवर्तकों से अपेक्षित स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात् तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु इन डीपीआर को लिया जाएगा।

विवरण-1

1 अप्रैल, 1997 से 30 अप्रैल, 1998 की अवधि के दौरान के०वि०प्रा० द्वारा स्वीकृत सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र०सं०	परियोजना का नाम/राज्य	क्षमता (मे०वा०)
केन्द्रीय क्षेत्र		
1.	तलचेर ताप विद्युत परियोजना चरण-2 (एनटीपीसी) उड़ीसा	2000
2.	तुरियल जल विद्युत परियोजना (नीपको), मिजोरम	60
राज्य क्षेत्र		
1.	लीमाखोंग डीजीपी (भारी ईंधन तेल ताप विद्युत परियोजना), मणिपुर	36

विवरण-2

निजी विद्युत परियोजनाएँ

क्र०सं०	परियोजना का नाम/राज्य	क्षमता (मे०वा०)
1.	विष्णुप्रयाग एचईपी (जयप्रकाश इंडस्ट्रीज लि०), उत्तर प्रदेश	400
2.	रोजा टीपीपी (इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स कार्पो०) उ०प्र०	567
3.	पातालगंगा सीसीजीटी (मैरिलाइंस पातालगंगा पावर प्रा० लि०) महाराष्ट्र	447.1
4.	तूतिकोरिन टीपीपी चरण-4 (मै० स्पिक इलेक्ट्रिक पावर कार्पो० लि०) तमिलनाडु	525

क्र०सं०	परियोजना का नाम/राज्य	क्षमता (मे०वा०)
5.	बीना टीपीएस (मै० बीना पावर सप्लाई कं० लि०, मध्य प्रदेश)	578
6.	नरसिंह सीसीपीपी (मै० जीवीएल पावर इंडिया लि०, मध्य प्रदेश)	166
7.	कोरबा (पश्चिम) विस्तार, (इंडिया थर्मल पावर लि०), मध्य प्रदेश	420
8.	गुना सीसीजीटी (मै० एसटीआई पावर इंडिया लि०) मध्य प्रदेश	347.25
9.	पेंच टीपीपी (मै० पेंच पावर लि०), मध्य प्रदेश	500
10.	भिलाई टीपीपी (मै० भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लि०) मध्य प्रदेश	574
11.	रायगढ़ टीपीपी (मै० जिन्दल पावर लि०), मध्य प्रदेश	550
12.	भाण्डेर सीसीटीजी (मै० भाण्डेर पावर लि०) मध्य प्रदेश	342
13.	पीठमपुर डीजीपीपी (मै० रापूरजी फ्लोनजी पावर कं० लि०) मध्य प्रदेश	119.7
14.	रतलाम डीजीपीपी (मै० जीवीके पावर (रतलाम लि०), मध्य प्रदेश)	118.63
15.	समागुंडम विस्तार (बीपीएल ग्रुप (—ऑन आईसीबी रूट, आन्ध्र प्रदेश)	520
16.	कॉंडापल्ली सीसीजीटी (लानको इंडस्ट्रीज लि०) —ऑन आईसीबी रूट आन्ध्र प्रदेश	350
17.	समवानल्लूर डीजीपीपी (मै० बालाजी पावर कार्पो० लि०), तमिलनाडु	106
18.	समलपट्टी डीजीपीपी (मै० समलपट्टी पावर कं० लि०) तमिलनाडु	106
19.	जोजोबेरा टीपीपी (मै० जमशेदपुर पावर कं० लि०) बिहार	240
20.	धौलपुर सीसीजीटी (मै० आरपीजी धौलपुर पावर कं० लि०), राजस्थान	702.7
21.	बरसिंगसर लिफ्टाइट टीपीटी (मै० हिन्दुस्तान विद्युत कार्पो० लि०) राजस्थान।	500

SHRI GOPALSINGH G. SOLANKI: Mr. Chairman, Sir, today, the whole nation is facing an acute shortage of power. The reply to part (a) of my question shows the clearance of 21 projects—10 in Madhya Pradesh, two in Uttar Pradesh, one in Maharashtra, three in Tamil Nadu, two in Andhra Pradesh, one in Bihar and two in Rajasthan. These projects will generate about 8000 MW of power. So far as the Central Projects are concerned, they

have cleared two projects. They will generate about 2060 MW of power. And the project in Manipur will generate 36 MW of power. I would like to know whether the Central Electricity Authority looks at the time-frame while clearing the projects to assess whether those who have undertaken the projects would clear up them within some stipulated time or not. At the same time, I would also like to know the amount of foreign exchange that is

going to be involved in these projects. This is my first supplementary.

SHRI R. KUMARAMANGALAM: Sir, I would like to inform the hon. Member about the time-frame that the CEA gives to itself when a complete application comes. Many times, applications are not complete. Specially when it comes to applications for techno-economic clearances, details and clarification are often sought. Within 60 days of an application being made, normally it is supposed to be cleared. But what happens is, they send it back for clarifications and details. But I would like to point out, historically, the improvement in figures and performance of the CEA in clearing projects. The details that have been given to you are for the year 1997-98. In fact, in 1992-93, 10 projects were cleared; in 1993-94, they were 17; in 1994-95, 8; in 1995-96, 8; in 1996-97, 7; and in 1997-98, they have been 23. From April 1 to date, we have cleared seven projects already. The CEA has moved very fast on it.

With regard to the amount of foreign exchange involved or invested in these projects, it can be pointed out when the projects complete the final closure because the final adjustments are done only at that particular period of time.

SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Sir, my second supplementary is in regard to part (d) of my question. The Central Electricity Authority has received suggestions and proposals in respect of 22 States which involve production of electricity to the tune of about 4800 MW. I would like to know when these particular proposals are to be cleared by the CEA. I would also like to know whether the Government has made any survey. What was the demand in the year 1950 and what is the present demand? What is the difference in the demands?

SHRI R. KUMARAMANGALAM: Mr. Chairman, I am sorry, on the demand difference between 1950 and today, the figures are not available with me

now. But I shall definitely get the same and pass them on to the hon. Member. But, with regard to the proposals that are pending, the 22 proposals that have been mentioned, I can assure the hon. Member that as and when the clarifications are being sought, when the detailed project reports come, we should keep to the same deadline of two months and clear the same. With regard to the present shortage on demand, I would like to inform the Member that it is 11.7 per cent working out to around 7,000 MW approximately.

This is quite a large amount, not a small amount. The projection for the end of the Ninth Plan is, according to the Planning Commission, 57,000 megawatts. But keeping in mind various other additions which are coming up because of the PLF improvement, we believe that an additional capacity of 40,000 megawatts would meet the demand by the end of the Ninth Plan.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Custodial deaths

*305. **SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:** Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of custodial deaths, including deaths caused by harassment and ill-treatment at the hands of investigating and enforcement agencies in Delhi and other parts of the country during 1997 and 1998, so far;

(b) the number of cases which have been cited by the National Human Rights Commission and other Human Rights bodies; and

(c) the steps taken to prevent and avoid such deaths and uncalled for harassment and use of third degree methods to extract confession?